<u>प्रेस नोट जनपद खीरी</u>

<u>दिनाँक 16.09.2021</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

<u>मिशन शक्ति</u>

<u>महिला एवं बाल अपराध की रोकथाम हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन</u>

आज दिनांक 16.09.21 को पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल की अध्यक्षता में पुलिस लाइन्स खीरी सभागार में जनपद खीरी के ए0एच0टी0यू0 प्रभारी, एस0जे0पी0यू0 प्रभारी एवं थानों पर नियुक्त समस्त बाल कल्याण अधिकारीगण के साथ 01 दिवसीय संयुक्त कार्यशाला/समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के दौरान प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सभी बाल कल्याण अधिकारीगण को मानव तस्करी की रोकथाम तथा बालकों के अधिकार एवं उनके संरक्षण हेतु उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के संबंध में जागरूक किया गया। जागरुकता हेतु समस्त बाल कल्याण अधिकारीगण को बालकों के अधिकारों एवं उनके संरक्षण से संबंधित कानूनी प्रावधानों के विषय में प्रचार-प्रसार सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिससे इस बारे में आम जन को भी जागरूक किया जा सके।

कार्यक्रम के दौरान श्री अरुण कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक खीरी (नोडल अधिकारी ए0एच0टी0यू0/एस0जे0पी0यू0); श्रीमती सुमन सिंह, सी0डबल्यू0सी0; श्री एस0पी0 सिंह, सी0डब्ल्यू0सी0; श्रीमती रचना सरवही, सी0डब्ल्यू0सी0; श्रीमती विभा सक्सेना, चाइल्ड लाइन; श्री अर्जुन त्रिपाठी, चाइल्ड लाइन; श्री संजय निगम, जिला प्रोबेशन अधिकारी; डॉ0 यदुनन्दन प्रसाद, (ए0पी0ओ0) अभियोजन शाखा; श्री राजेश मनी, निदेशक मानव सेवा संस्थान; श्री धर्मेन्द्र सिंह, कार्यक्रम प्रबन्धक मानव सेवा संस्थान; सुश्री नीतू निषाद, जे0जे0बी0; मौजूद रहे।

जनपद खीरी पुलिस द्वारा अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध विगत 24 घंटे में अभियान के तहत 09 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना पलिया से 02, भीरा - 03, गोला – 01, मैलानी – 01, नीमगांव – 01 व सिंगाही से 01 कुल 09 अभियोग पंजीकृत कर 09 अभियुक्तों के कब्जे से 03 अदद अवैध तमंचा व 04 अदद कारतूस, एक अदद बांका, एवं 08 अदद चाकू बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

<u>थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा 1200 अदद नशीली टैबलेट बरामद कर 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 15.09.2021 को थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. दीपक कश्यप पुत्र अशोक निवासी ग्राम गढी रोड थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी 2. दिलीप पुत्र राममूर्ति निवासी ग्राम सेन्डैराकला थाना ईसानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 1200 अदद नशीली टैबलेट बरामद की गई। उक्त गिरफ्तारी व बरमदगी के आधार पर थाना कोतवाली सदर पर एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद खीरी पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जनपद खीरी पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिसका विवरण निम्नवत हैः-

1. थाना भीरा पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए वारिस अली पुत्र साहिद अली आदि 08 नफर सर्व निवासीगण व थाना भीरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 52 अदद ताश के पत्तें व कुल 5655 रुपये नगद बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 346/21 धारा 13 जुआं अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

2. थाना खीरी पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए अभियुक्तगण आरिफ पुत्र शहनूर आदि 03 नफर नि0गण थाना व जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 353/21 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 479/15 धारा 307 भादवि में वारण्टी अभियुक्तगण 1. सदा सिंह पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम मड़िया थाना मोहम्मदी 2. छोटे पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम सिसोकन थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

- थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 205/12 धारा 3/25 A Act में वारण्टी अभियुक्त राम प्रताप पुत्र अशर्फीलाल निवासी ग्राम कमलापुर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

- थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 286/20 धारा 138 B विधुत अधिनियम में वारण्टी अभियुक्त सुरेश पुत्र बनवारी निवासी ग्राम सुन्दरवल थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 449 लीटर अवैध शराब सहित 31 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **449 लीटर अवैध कच्ची शराब, 09 अवैध शराब भट्टी सहित बरामद कर 31 अभियुक्त** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **31 अभियोग** पंजीकृत किए गए।